

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 57 / 2025

अपीलांट -

मोड़सिंह गोदपुत्र मंगलसिंह जाति
राजपूत, निवासी भालीखाल, तहसील
धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स -

1. तहसीलदार धोरीमन्ना
2. मोड़सिंह पुत्र सरदारसिंह
3. जयसिंह पुत्र सरदारसिंह
4. आसूसिंह पुत्र चैनसिंह
5. बलवंतसिंह पुत्र चैनसिंह
6. गुमानसिंह पुत्र आदूसिंह उर्फ अमरसिंह
7. हुकमसिंह पुत्र आदूसिंह उर्फ अमरसिंह
8. दरिया पत्नी आदूसिंह उर्फ अमरसिंह
9. बाबूसिंह पुत्र भंवरसिंह
10. मोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह
11. प्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत
निवासी भालीखाल, तहसील धोरीमन्ना
जिला बाड़मेर
12. भवसिंह उर्फ भवानसिंह पुत्र चैनसिंह
जाति राजपूत निवासी गोलिया जाब
तहसील सांचोर जिला जालोर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
विरुद्ध नामान्तरकरण सं. 89 दिनांक 26.04.2023 जो तहसीलदार
धोरीमन्ना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-


1. श्री धर्मसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 2से12 नोटिस तामील बावजूद अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 07.01.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम के तहत मौजा भालीखाल पटवार हल्का उडासर, तहसील
धोरीमन्ना के नामान्तरकरण सं. 89 पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित




जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्वीकृति आदेश दिनांक 26.04.2023 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा भालीखाल पटवार हल्का उडासर के खसरा संख्या 315, 317, 336, 336/2, 344 क्रमशः रकबा 2-4929, 1-9749, 3-7069, 0-3723, 7-9723 हेक्टेयर भूमि मंगलसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट के गोदपिता मंगलसिंह का देहान्त हो जाने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 26.04.2023 तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 07.11.2025 को यह अपील न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।
3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील में मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।
4. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से निवेदन किया हैं कि अपीलांट की पैतृक एवं कब्जे काश्त की भूमि मौजा भालीखाल पटवार हल्का उडासर तहसील धोरीमन्ना मे आई हुई है। उक्त भूमि अपीलकर्ता के गोद पिता मंगलसिंह पुत्र चिमनसिंह की पैतृक पुश्तेनी एवं खातेदारी अधिकारों की भूमि अवस्थित है। अपीलांट द्वारा पिछले करीब 30-40 वर्षों से अपने गोद पिता मंगलसिंह के साथ रहवास कर उनकी सेवा चाकरी करता आ रहा है। तथा उसके पिता मंगलसिंह द्वारा दिनांक 22.09.2022 उपपंजीयक धोरीमन्ना में स्वयं उपस्थित होकर पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 1 में पृष्ठ संख्या 91 क्रमांक संख्या 202203110400005 पर गोदनामा पंजीबद्ध करवाया है। तथा उक्त तथ्यों की उतरदाता संख्या 2 से 12 का पूर्णतया जानकारी होने के उपरांत भी




जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट के पिता की दिनांक 17.12.2022 को देहान्त होने पर उनकी फौतगी के जरिये नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 26.04.2023 का आदेश पारित किया गया, जो सरासर गलत व विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य हैं।

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रकट किया कि अपीलांट को पूर्व में उक्त नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट द्वारा दिनांक 03.11.2025 को जब अपने खेत की जमाबंदी लेने के लिए पटवारी के पास गया तो अपीलांट को आलोच्य नामान्तरकरण की जानकारी हुई, तब अपीलांट को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तब अपीलांट ने हल्का पटवारी से जानकारी हुई जिस पर अपीलांट्स ने उक्त नामान्तरकरण की नकले मांगी। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 833 दिनांक 24.04.2023 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।
6. रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 12 सूचना बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल में लाई गई।



7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा भालीखाल पटवार हल्का उडासर के खसरा संख्या 315, 317, 336, 336/2, 344 क्रमशः रकबा 2-4929, 1-9749, 3-7069, 0-3723, 7-9723 हेक्टेयर भूमि मंगलसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट के गोदपिता मंगलसिंह का देहान्त हो जाने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 26.04.2023 तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर

अपीलांट ने दिनांक 07.11.2025 को यह अपील न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उक्त भूमि अपीलकर्ता के गोद पिता मंगलसिंह पुत्र चिमनसिंह की पैतृक पुश्तेनी एवं खातेदारी अधिकारों की भूमि अवस्थित है। अपीलांट द्वारा पिछले करीब 30-40 वर्षों से अपने गोद पिता मंगलसिंह के साथ रहवास कर उनकी सेवा चाकरी करता आ रहा है। तथा उसके पिता मंगलसिंह द्वारा दिनांक 22.09.2022 उपपंजीयक धोरीमन्ना में स्वयं उपस्थित होकर गोदनामा पंजीबद्ध करवाया है। इस प्रकार प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना कर उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा एकतरफा नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त करने के काबिज है। इस प्रकार अपीलांट की ओर से प्रकट तथ्यों एवं अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट के गोदपिता मंगलसिंह द्वारा दिनांक 22.09.2022 को उपपंजीयक धोरीमन्ना में स्वयं उपस्थित होकर पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 1 में पृष्ठ संख्या 91 क्रमांक संख्या 202203110400005 पर गोदनामा पंजीबद्ध करवाया है। ऐसे में मृतक के सभी वैध उत्तराधिकारियों की जांच व उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है, जो विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा समस्त उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण सं. 89 पर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2023 विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा भालीखाल, पटवार हल्का उडासर के नामान्तरकरण सं. 89 पर पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 को अपास्त




बाड़मेर

किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार धोरीमन्ना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक खातेदार मंगलसिंह के विधिक वारीसान की जांच एवं उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करावें।

9

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(टीना डाबी)
जिला कलेक्टर, बाड़मेर
जिला कलेक्टर
बाड़मेर